

मांग संख्या 33
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत आश्रमों/छात्रावासों में निवासरत छात्रों के खाद्यान्न सुरक्षा हेतु ₹ 625.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 6,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।